न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 91/2024

प्रार्थीगण :–
1–गोदावरी पत्नि पूनाराम जाति रेगर
2–मदनलाल पुत्र पूनाराम जाति रेगर
3–सुवाराम पुत्र पूनाराम जाति रेगर
4–गुदड़राम पुत्र पूनाराम जाति रेगर
सभी निवासीगण कंवरीयाट तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–
1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हल्का जड़ाउकलां तहसील रियांबड़ी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

दिनांक :– 30/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि प्रार्थीगण ग्राम कंवरीयाट तहसील रियांबड़ी का स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण व उसके परिवार की चल व अचल सम्पत्ति ग्राम कंवरीयाट में ही स्थित है।

2–यह है कि प्रार्थी की खातेदारी का मौजा कंवरीयाट में खसरा नंबर 204,208, 210,211,212,214,217,219,220,221,कुल रकबा 10.39 हैक्टर में प्रार्थीगण संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के तिपा पूनाराम पुत्र धूलाराम की जाति मेघवाल दर्ज है जो गलत है। जबकि प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी के मौजा कंवरीयाट के खसरा नंबर 187,732/27,98,474,27,28/610,30 व 545 में प्रार्थीगण संख्या 1 के पति पूनाराम व अप्रार्थीग्ण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम की जाति रेगर दर्ज है जो कि सही दर्ज है।

3–यह है कि प्रार्थीगण संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम का देहान्त दिनांक 28.08.2015 को हो चूका है। जिनके स्थान पर प्रार्थीग्ण संख्या 1 से 4 के प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 की बहिन सुपारीदेवी के नाभ से फौत का नामान्तकरण मौजा कंवरीयाट में सिथत खसरा नंबर 187,732/27,98,474,27,28/610,30 व 645 में तो दर्ज हो गया परंतु मौजा कंवरीयाट के ही खसरा नंबर 204,208, 210,211,212,214, 217,219,220,221, कुल रकबा 10.39 हैक्टर में प्रार्थीगण संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम पुत्र धूलाराम की जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज होने से अभी तक विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

4–यह है कि इसलिए अब प्रार्थीगण संख्या 1के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम पुत्र धूलाराम जी का देहान्त हो जाने से उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए जाति का संशोधन किया जाना अति आवश्यक है।

5–यह है कि खसरा नंबर 204,208, 210,211,212,214,217,219,220,221,कुल रकबा 10.39 हैक्टर की जमाबंदी में प्रार्थीग्ण संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता की जाति महज लिपिकीय भूलवंश से रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज हो गई है। जिसे शुद्व किया जाना न्यायोचित है। इस रेकर्ड में अशुद्वि के कारण प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार वालो को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जाति मेघवाल की जगह जाति रेगर इन्द्राज पुनः किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा कंवरीयाट के खसरा नंबर 204,208, 210,211,212,214,217,219,220,221,कुल रकबा 10.39 हैक्टर में प्रार्थीगण संख्या 01 के पति वा प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम पुत्र धूलाराम की जाति मेघवाल के स्थान पर जाति रेगर की शुद्वि दर्ज करावें तथा उक्त अशुद्वि को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार रियांबड़ी से करवाई गई। तहसीलदार रियांबड़ी ने बाद जांच के अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पूनाराम पुत्र धूलाराम की जाति रेगर है सहवन से राजस्व रेकार्ड में मेघवाल दर्ज हो गई। ग्राम कंवरीयाट में पूनाराम नाम का एक ही व्यक्ति है। मौजा कंवरीयाट की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 158,159,160,240,360 में प्रार्थीगण की जाति रेगर दर्ज है। जो कि सही है। किनतु ग्राम कंवरीयाट के खाता संख्या 334 में प्रार्थीगण के पिता एंव पति पूनाराम पुत्र धूलाराम की जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज हो गई। जो कि गलत है। पूनाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जाति रेगर दर्ज है। अतः मेघवाल के स्थान पर रेगर जाति शुद्व किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पुराना राजस्व रेकार्ड संवत् 2073–76 की जमाबंदी के खाता संख्या 158,159,160,240,360 मे प्रार्थीगण के पिता,पति की जाति रेगर दर्ज है तथा फौतगी नामान्तकरण भी दर्ज हुआ तो जाति रेगर दर्ज है। सहवन से खाता संख्या 334 में संयुक्त खातेदारी में रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज हो गया। ऐसा तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व रेकार्ड से विदित हैं। समस्त विवचेन से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि :–

आदेश

" मौजा कंवरीयाट के खसरा नंबर 204,208, 210,211,212,214,217,219,220,221,कुल रकबा 10.39 हैक्टर में प्रार्थीगण संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता पूनाराम पुत्र धूलाराम जाति मेघवाल के स्थान पर जाति रेगर शुद्व की जाती है। "

तहसीलदार रियांबड़ी आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अशुद्वि को शुद्वि की जाकर रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय की तहरीर तहसीलदार रियांबड़ी को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....30/8/24.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर